प्रार्थना पत्र संख्याः– 187 / 2019
अनिता आदि बनाम केदारमल आदि
निर्णय दिनांकः– 17-1-21

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– सुनील कुमार चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं.– 187 / 2019

1. अनिता पत्नी बजरंग
2. अशोक कुमार पुत्र धर्मपाल
3. ग्यारसी पत्नी धर्मपाल
4. ज्योति पत्नी अशोक शर्मा
5. प्रियंका पत्नी सत्यवीर
6. पवन कुमार पुत्र बाबुलाल
7. बजरंगलाल पुत्र धर्मपाल
8. भानमति पत्नी पवन कुमार
9. मोहनलाल पुत्र बाबुलाल
10. रेखा पुत्री बाबुलाल
11. लाली पत्नी बाबुलाल
12. सतवीर पुत्र धर्मपाल
13. सतवीर पुत्र धर्मपाल
14. सोहनलाल पुत्र बाबुलाल

} समस्त जाति ब्राहमण निवासी धुलवा जिला झुंझुनूं।

..........**प्रार्थीगण**

बनाम

1. केदारमल पुत्र सागरमल
2. गुड्डी पुत्री मक्खनलाल
3. देवीदत्त पुत्र मक्खनलाल
4. नन्दकिशोर पुत्र सागरमल
5. बजरंगलाल पुत्र सागरमल
6. भागीरथमल पुत्र मोहरीलाल
7. मनोज कुमार शर्मा पुत्र भागीरथ शर्मा
8. महावीर प्रसाद पुत्र मक्खनलाल
9. रेशमा पुत्री मक्खनलाल
10. राधेश्याम पुत्र मक्खनलाल
11. लाली पुत्री मक्खनलाल
12. बिमला पुत्री मक्खनलाल
13. सन्त कुमार पुत्र सागरमल

} समस्त जाति ब्राहमण निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

14. सुमन देवी श्रवण कुमार जाति ब्राहमण निवासी किठाना तहसील चिडावा।
15. सुरेश कुमार पुत्र मक्खनलाल
16. हीरालाल पुत्र मक्खनलाल

} समस्त जाति ब्राहमण निवासी धुलवा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

17. बैक ऑफ बडौदा शाखा बलौदा तहसील स[illegible] जिला झुंझुनूं।
18. सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया श[illegible] झुंझुनूं।
19. आईसीआई बैक शाखा सागा[illegible] तहसील बुहाना।
20. राजस्थान सरकार जरिये लै[illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थना पत्र संख्याः—187/2019
अनिता आदिबनाम केदारमलआदि
निर्णय दिनांकः— 17-11-21
.........अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत अर्न्तगत धारा 251 राज0 कास्तकारी अधिनियम

—:निर्णयः—

दिनांक :— 17-11-21

(1). प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रहा किः—

1. यह कि वाके ग्राम धूलवा तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर256 रकबा 2.15 है.,खसरा नम्बर 284 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 285 रकबा 2.38 है., खसरा नम्बर 301/284 रकबा 1.09 है., खसरा नम्बर 305/254 रकबा 0.61 है., कुल किता 5 कुल रकबा 6.29 है. आवेदकगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। जिस पर आवेदकगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिजा कास्त है।
2. इस प्रकार ग्राम धुलवा तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 255 रकबा 1.23 है., खसरा नम्बर 282 रकबा 1.13 है., खसरा नम्बर 283 रकबा 2.67 है., खसरा नम्बर 326/258 रकबा 0.10 है., खसरा नम्बर 327/268 रकबा 0.16 है., कुल किता 5 कुल रकबा 5.29 है. के अनावेदक सं. 1 लगायत 6 संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है जिस पर अनावेदकगण अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है।
3. यह कि आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 301/284 रकबा 1.09 है., खसरा नम्बर 284 रकबा 0.06 है., खसरा नम्बर 285 रकबा 2.38 है., में आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता मुख्य आम सड़क बुहाना बलोंदा से पूर्व दिशा में अनावेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 1.13 है. की उतरी दिशा की मेड़ के सहारे—सहारे आवेदकगण की भूमि खसरा नम्बर 301/284 रकबा 1.09 है. की पश्चिमी मेड तक जाता है। उक्त रास्ते का नजरी नक्शा प्रस्तुत है जिसे नजरी नक्शे में सुर्ख दर्शाया गया है। जो आवेदक पत्र का भाग है।
4. यह कि उक्त वर्तमान में उक्त रास्ता मौके पर करीब 4 फीट व पगडण्डीनुमा है। उकत रास्ता आवेदकगण के कदीम से अपने खेतो से मुख्य सड़क तक आने जाने व साान ऊंट गाडे लाने ले जाने के काम आात रहा है। आवेदकगण समस्त फसल के कार्य फसल जोतना, काटना, फसल परिवहन करना व सभी कार्य इसी रास्ते से करते आ रहे है।
5. आवेदकगण के पास अपनी भूमि 301/284, 284, 285 में आने जाने के लिए भूमि खसरा नम्बर 282 की उतरी मेड़ के सहारे—[illegible] एक उपरोक्त वर्णित रास्ता ही है अन्य कोई वैकल्पि [illegible] नहीं है तथा उपरोक्त वर्णित रास्ता आवेदकगण के लिए सबसे छोटा, सुग[illegible] सुविधाजनक है।
6. आवेदकगण ने गत सप्ताह अनावेदकगण से [illegible] आने जाने के लिए उक्त रास्ते को चौड़ा करने बाबत कहा लेकिन अनावेदकगण साफ इन्कार हो गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

आवेदकगण को इस चौड़े रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। इसलिए यह आवेदन पेश करना आवश्यक हुआ।

7. यह कि आवेदक का खेत जो ग्राम धुलवा मे स्थित है जो न्यायालय श्रीमान जी के क्षेत्राधिकार में होने से श्रीमान को आवेदन कि सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र से अनुतोष चाहा कि–

(क). कि वाके ग्राम धुलवा आम सड़क बुहाना बलोंदा के पूर्व में स्थित भूमि खसरा नम्बर 282 की उत्तरी मेड़ के सहारे सहारे भूमि खसरा नम्बर 301 / 284 की पश्चिमी सीमा तक 11 फीट चौड़ा रास्ता कायम किया जाकर उक्त रास्ते को दर्ज राजस्व रिकॉर्ड अमल दरामद करवाया जावे।

(2). प्रार्थना पत्र दर्ज पंजिका कर अप्रार्थीगण की तलबी की गई।अप्रार्थीगण की सम्यक तामिल हुई। अप्रार्थी सं. 6 की ओर से अधिवक्ता श्री नरेश भारद्वाज ने वकालतनामा पेश कर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। शेष अप्रार्थीगण की बावजुद सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई।

अनावेदक सं. 6 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र रहा कि–आवेदकगण के द्वारा 4 फीट की पगडण्डीनुमा रास्ता होना अंकित किया है जो कि ना तो मोके पर विद्यमान है और ना ही कभी रहा है। आमतौर पर खेतों के आने जाने के लिए दो फुट की पगडण्डी विद्यमान है। आवेदकगण इस पगडण्डी कभी भी ऊंट गाड़सी या फसल परिवहन के लिए कोई साधन इधर से नहीं ले के जाते है। बल्कि सुविधानुसार जहां से खेत खाली होते है। उधर से ही आना जाता करते है। क्योकि आवेदगण ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। आवेदकगण का यह उक्त धारा 251क का जो मुल उदेश्य है उसके अनुसार कोई भी रास्ता केवल जोत के सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकता है। बल्कि अत्यंतिक आवश्यकता होनी चाहिए। आवेदकगण ने ना तो अपने खेतों में मकान बना रखे है। और ना ही सिंचाई का कोई स्त्रोत निर्मित है। केवल जोत की सुविधा के लिए उन्होने रास्ता चाहा है। जो किसी भी रूप में दिया जाना संभव नहीं है। अतः अनुतोष आवेदकगण पत्र अस्वीकार है। आवेदकगण को रास्ते की कोई अति आवश्यकता है तथा ना ही रास्ता चाही गई भूमि में कोई मकानात व कुआं निर्मित है। इसलिए अंतर्गत धारा 251 के प्रावधानों की श्रेणी में ना आने से आवेदन पत्र खारीज फरमाये जाने योग्य है।

(3). प्रार्थीकी ओर से में दस्तावेज में नकल नक्शा किस्तवार, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78, नकल जमाबंदी सम्वत् 2075–78 नक्शा किस्तवार, नजरी नक्शाप्रस्तुत की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 10:07:14 IST
Reason: SelfAttested

(4). तहसीलदार बुहाना की फर्द मौका रिपोर्ट दिनांक 28.07.2020 रही कि–मुकदमा नम्बर 187 / 2019 बउनवानी अनिता आदि बनाम केदारमल आदि में ग्राम धुलवा के खसरा नम्बर 301 / 284, 285 मे जाने हेतु डाम्बर की सड़क से रास्ता चाहने पर उक्त खातेदारी खसरा नम्बर व डाम्बर सड़क के बिच में दीगर खातादारान की

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

खातेदारी का खसरा नम्बर 282 स्थित होने पर मौके पर रास्ते चाहने वाले आवेदक खातेदारान व खसरा नम्बर 282 के खातेदारान की मौजुदगी में मौका निरीक्षण किया गया। तो मौके पर उक्त नम्बरान में फसल खड़ी है। रास्ता चाहने वाले आवेदक खातेदारो के द्वारा बताया गया कि हमें खसरा नम्बर 282 की उतरी सीमा पर या दक्षिण सीमा पर दोनो में से किसी पर भी रास्ता दिया जाता है। तो हमे कोई आपती नहीं है। लेकिन खसरा नम्बर 282 के खातेदार द्वारा किसी भी स्थिती में उक्त दोनो सीमाओ पर रास्ता देने को तैयार नहीं हुए तथा उन्होने एक ऐसा प्रस्ताव बताया जिसमें पांच गुणा भूमि जाती है। जिसके सम्बंध में आवेदको द्वारा असहमती जाहीर की। मौके पर समझाईश के उपरान्त भी निस्तारण नहीं हो सका। त्हसीलदार बुहाना की फर्द मौका रिर्पोट दिनांक 31.03.2021 रही कि –समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस क्रमांक 1454–84दिनांक 30.03.2021 द्वारा जारी किए गए थे जिनकी तामिल विधिवत रूप से करवायी गई व पक्षकारो की उपस्थिती में मौका मुआयना किया गया तथा विस्तृत तथ्यात्मक रिर्पोट तैयार की गई। रास्ते का प्रस्ताव तैसार किया गया। जिसका नजरी नक्शा तैयार किया गया। जो निम्नानुसार है। प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 301 / 284, 284, 285 में आने जाने के लिए कोई रास्ता दर्ज राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। बुहाना से धुलवा जाने वाली सड़क पर उक्त खसरा नम्बर स्थित है। मौके पर 327 / 268, 326 / 268, 325 / 268 पक्की सड़क के खसरा नम्बर है। परन्तु सड़क कटानी नहीं है। यह कि अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 282 के मौके पर दो हिस्से बना रखे है। खसरा नम्बर 282 की उतरी मेड़ मौके पर नहीं है। इस खसरा नम्बर में 281 की भूमि रकबा 0.4095 है. भूमि सम्मिलत कर रखी है। खसरा नम्बर 281 का हिस्सा जो 282 के साथ लगता है। उसकी उतरी व पूर्वी दिशा में 3.25 फीट का चौड़ी मौके पर पगडण्डी चालु है। खसरा नम्बर 301 / 284 की उतरी सीमा के साथ 4 मीटर का राररस्ता छोड़ रखा है। आवेदित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजुद नहीं है। नजरी नक्शा के अनुसार बिन्दु संख्या ए से बी तक 110 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौड़ाई खसरा नम्बर 282 मे जायेगा अर्थात 440 वर्ग मीटर जायेगा। जो की खसरा नम्बर 282 मे से ही रास्ता निकटतम व लघुतम है।

(5). बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। न्यायालय का निष्कर्ष निम्न प्रकार है। **(1)**. वाके ग्राम धुलवा तहसील बुहाना स्थित भूमि खसरा नम्बर 301 / 284, 284, 285 के एकल खातेदार काश्तकार आवेदक दर्ज रिकॉर्ड है।प्रार्थीगण अपनी भूमि पर काबिज कास्त है।**(2)**. आवेदक की भूमि ख0 न0 301 / 284 के अनावेदकगण के खेत खसरा नम्बर 282 के पश्चिम दिशा मे सड़क है। जिसकी पूर्व से पश्चिम उतरी सीमा के सहारे आवेदक के खेत खसरा नम्बर 301 / 284 तक 4 मीटर का रास्ता निकटम रास्ता है।**(3)**. अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से एडवोकेट नरेश कुमार भारद्वाज उपस्थित हुए। जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। **(4)**. अप्रार्थीगण ने अपने लिखित जवाब में रास्ता न दिए जाने का निवेदन किया है। (5). तहसीलदार बुहाना ने भी अपने रिपोर्ट में रास्ता दिए जाने योग्य बताया है। तहसीलदार रिर्पोट दिनांक 30.03.2021 मय नजरी नक्शा पेश किया है। **(6)**. न्यायालय प्रार्थना पत्र में चाहे गये रास्ते को मात्र जोत के सुविधाजनक उपभोग (**Not mere convenient enjoyment**

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनूं (राज.)

of holding) के लिये नहीं है बल्कि आत्यांतिक आवश्यकता (Absolute Necessity) का मामला पाता है। यह भी कि आवेदक ने अपने खातेदारी खेत/मकान में आने जाने एवं फसल उपज को लाने ले जाने के लिये वैकल्पिक साधन/रास्ता की अनुपलब्धता (Absence of alternative means of access) को भी साबित किया है। (6) क्षति पुर्ति के बिन्दुओं पर सुना गया। पक्षकारान में सहमति नहीं बनी। अतः नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित गुणा के अनुसार प्रतिकार का भुगतान किया जाना उचित है। क्षतिपूर्ती ग्राम धुलवा की अधिकतम डी.एल.सी 1829888/– प्रति हैक्टेयर के अनुसार क्षतिपूर्ती तय किए जाने योग्य है। रास्ते का रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की सुविधा की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात हैक्टेयर के डेसिमल तक ही रखा गया है। रास्ते की चौड़ाई रास्ते में दिए गए रकबे के लम्बाई के अनुपातिक तय की जावे। पक्षकारान में सहमति नही बनी। नियमानुसार निर्धारित दर के निर्धारित के अनुसार का भुगतान किया जाना उचित है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता है।

–:: आदेश ::–

न्यायालय प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाता हैं। अतः वाके ग्राम धुलवा में स्थित भूमि खसरा नम्बर 282 रकबा 1.13 है. में से रकबा 110 मीटर लम्बाई तथा 4 मीटर चौडा यानि 110 x 4 = 440 वर्ग मीटर (नजरी नक्शे प्रदर्श–'अ' के अनुसार) उत्तरी सीमा के सहारे भूमि लम्बाई के समानुपाति चौड़ाई में, प्रार्थीगण को ग्राम बुहाना से धुलवा सड़क से अपनी खातेदारी भूमि ख. नं. 301/284 में आने जाने के लिए रास्ते के रूप में दिए जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह रकबा राजस्व रिकॉर्ड में अमल की दृष्टि से राउण्ड फिगर अर्थात एयर में रखे जाने के आदेश दिये जाते है। रास्ते की भूमि राजस्व रिकॉर्ड में **"गैर मुमकिन रास्ता"** के रूप मे सरकारी खाते में दर्ज की जावे। इस रास्ते से अन्यजन के रास्ते के उपयोग–उपभोग के अधिकार भी बने रहेगे। मुआवजे की राशि 161030/– रूपयें राजकोष में जमा करने हेतु तहसीलदार बुहाना को लिखा जावे। मुआवजा राशी राजकोष में जमा होने पर नियमानुसार संम्बन्धित खातेदार/अप्रार्थीगण को भुगतान किया जावे। अप्रार्थीगण को सदैव के लिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंध किया जाता है कि उक्त रास्ते के उपयोग, उपभोग मे किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। राजकोष में राशि जमा होने पर तहसीलदार बुहाना रिकॉर्ड में अमल व तरमीम करे। रास्ता के सीमा चिन्ह, पत्थरगढी कायम कर रास्ता कायम किया जावे। रहन यदि कोई हो तो रास्ता में जाने वाला रकबा रहन से मुक्त माना जावे।

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

निर्णय आज दिनांक **17-11-2021** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:14 IST
Reason: SelfAttested

(सुनील कुमार चौहान)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बुहाना जिला-झुंझुनू (राज.)

नकल ततिमा किश्तवार

ग्राम चुलवा तहसील हुहारा जिला - कुल्लौर (हि.प्र.)

तरमीम 1977-78

पैमाना 1 से.मी. = 40 मीटर

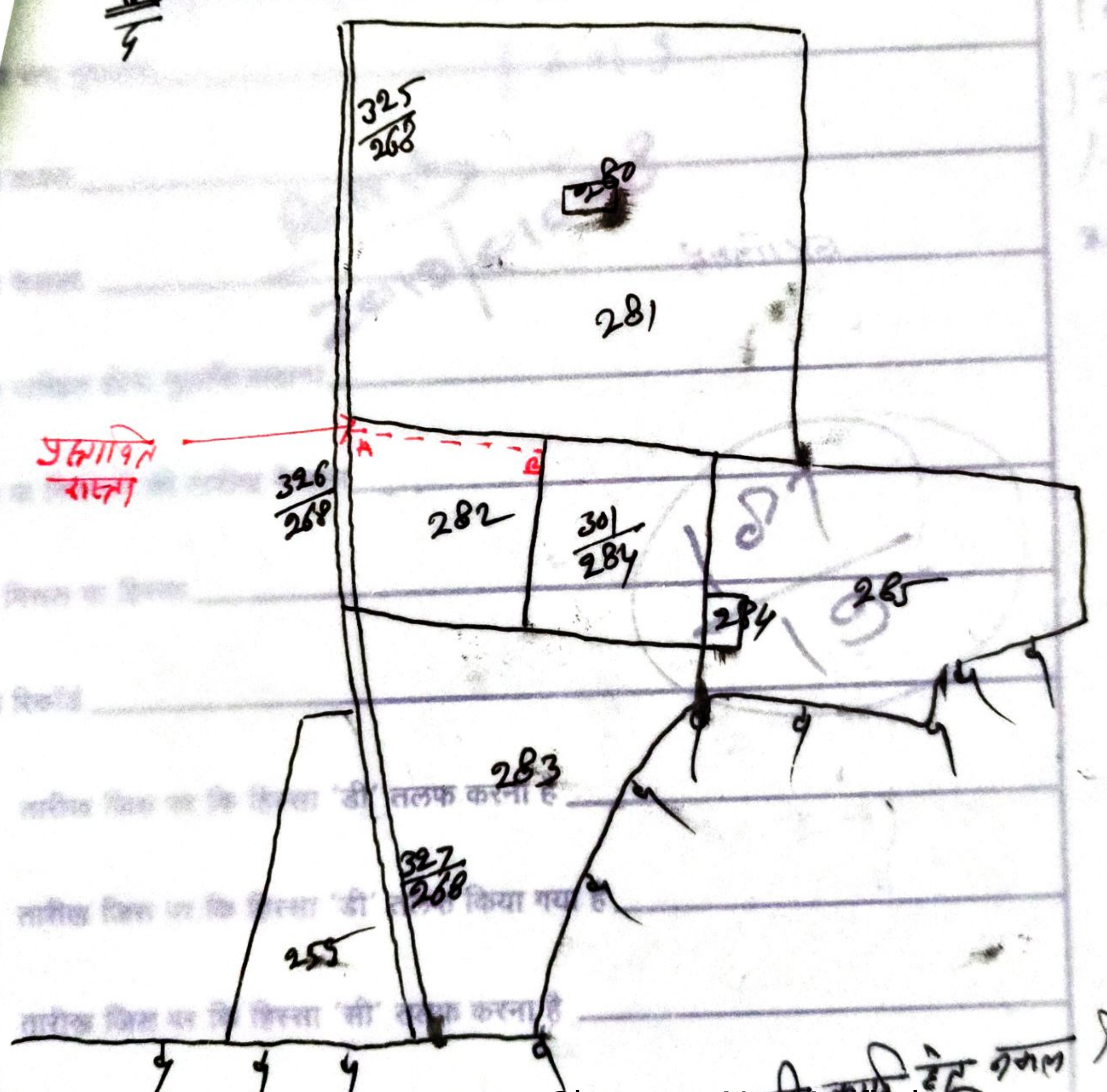

हस्ताक्षर हेतु नकल नि: कुल्लू की नकल

"सत्यप्रतिलिपि"

JLR 8386
30/03/2021

C.S.
31.3.21

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar Chouhan
Date: 2021.12.15 12:07:14 IST
Reason: SelfAttested